न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1370–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–09–2010 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 148/2007–08 अपील

1– मानसिंह पुत्र परशराम
2– श्रीमती महादेवी पत्नि मानसिंह
3– निर्मलचंद जैन पुत्र फुलजारी लाल
निवासी ग्राम निराला रंग विहार के
पीछे तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कमला व्देवी पत्नि इन्दलसिंह
ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री पी.के.तिवारी)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19 –10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/2007–08 अपील अपील में पारित दिनांक 3.9.2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मुड़याखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 532/2 के रकबा में से रकबा 0.06/1/2 का भूमिस्वामी इन्दल सिंह पुत्र मानसिंह था जिसकी मृत्यु उपरांत नामान्तरण कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा अनावेदक ने मृतक की पत्नि होना बताते हुये स्वयं के नामांत्रण की मांग रखी एंव मान सिंह पुत्र परशुराम एंव महादेवी पत्नि परशराम ने मृतक के

माता-पिता होने के आधार पर नामात्रण की मांग की। वरिष्ठ न्यायालयों से प्रकरण प्रत्यावर्तन में प्राप्त होने पर नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड ने प्रकरण कमांक 7 अ-6/2005-06 पंजीबद्ध कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 17-3-2006 से आवेदक की आपत्ति अमान्य कर मृतक खातेदार के माता-पिता परशुराम एंव महादेवी पत्नि परशराम का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 24/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.11.2007 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 148/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-2010 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 19.11.2007 तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-3-2006 निरस्त किये गये तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को साक्ष्य एंव सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि-सम्मत आदेश पारित किया जावे। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से

परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 7 अ-6/2005-06 में अनावेदक व्दारा यह आपत्ति की गई, कि वह मृतक खातेदार इन्दल सिंह पुत्र मानसिंह की पत्नि होकर नामान्तरण किया जावे, किन्तु नायव तहसीलदार ने इस आपत्ति को अमान्य किया है जैसाकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 3-9-2010 में विवेचित किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत कोई महिला किस पुरूष की पत्नि है अथवा नहीं है - घोषित करने की अधिकारिता जिला जज को है, अभिमत व्यक्त करते हुये प्रकरण नायव तहसीलदार की ओर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है । उभय पक्ष को नायव तहसीलदार के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 3-9-10 में हस्तक्षेप की गुंजायश नजर नहीं आती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-2010 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर